राजस्थान सरकार

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाड़ा

(पीठासीन अधिकारी डॉ. राजेश गोयल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 26/2021 अपील

1. देबीलाल पुत्र छोगा दरोगा मुतबन्ना स्वर्गीय रूपा दरोगा निवासी हाजियास तहसील हुरड़ा जिला भीलवाडा

बनाम

1. जमना सिंह पुत्र स्वर्गीय घीसी देवी पुत्री रूपा दरोगा निवासी हजियास हाल मुकाम नवलपुरा ग्राम पंचायत बागोर
2. श्यामसिंह पुत्र स्वर्गीय घीसी देवी पुत्री रूपा दरोगा निवासी हजियास हाल मुकाम नवलपुरा ग्राम पंचायत बागोर
3. गोपालसिंह पुत्र स्वर्गीय घीसी देवी पुत्री रूपा दरोगा निवासी हजियास हाल मुकाम नवलपुरा ग्राम पंचायत बागोर
4. शंकरसिंह पुत्र स्वर्गीय घीसी देवी पुत्री रूपा दरोगा निवासी हजियास हाल मुकाम नवलपुरा ग्राम पंचायत बागोर
5. समता देवी पुत्री घीसी देवी पुत्री रूपा दरोगा निवसी हजियास हाल पत्नि मदनसिंह दरोगा निवासी लुहारिया तहसील माण्डल जिला भीलवाड़ा ।
6. टम्मू देवी पुत्री घीसी देवी पुत्री रूपा दरोगा निवासी हजियास हाल पत्नि गोपाल दरोगा निवासी महेन्द्रगढ़ तहसील सहाडा जिला भीलवाड़ा
7. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार हुरडा तहसील हुरडा जिला भीलवाडा

–अपीलार्थी

–रेस्पोडेण्ट

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान लेण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व नामान्तरण संख्या 1741 तहसीलदार हुरडा दिनांक 17.02.2021

उपस्थित –

1. श्री राजेश मेहता, रामस्वरूप जोशी अधिवक्ता – अपीलार्थी की ओर से
2. श्री आदित्यनारायण, दिनेश तिवाडी अधिवक्ता – विपक्षीगण की ओर से

निर्णय

दिनांक 09.11.2022

अपीलार्थी की ओर से यह अपील अंतर्गत धारा 75 लैण्ड रेवन्यु एक्ट विरूद्व तहसीलदार हुरडा के नामान्तरकरण संख्या 1741 निर्णय दिनांक 17.02.2021 के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि विवादित आराजियात मृतक रुपा जो अपीलान्ट के पिता के

अति. जिला कलक्टर

कलेक्टर गुलाबपुरा के निर्णय व डिकी के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा एक अपील न्यायालय भूप्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के यहा इन्ही रेस्पाडेन्ट नंबर 1 से 6 के विरुद्व पेश की जिसके अपील कमाक 254 सन 2018 पर दर्ज है और उक्त अपील में दिनांक 18–07–2018 को एक आदेश जारी कर सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा के निर्णय व डिकी की पालना स्थगित कर रखी है जो अब तक प्रभावी चली आ रही है जिसकी रेस्पाडेन्ट नंबर 1 से 6 को जानकारी होते हुए भी उन्होने सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा के यहा ईजराय पेश कर उक्त आराजियात जो बैंक के बंधक सुदा होते हुए भी उसका नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया। अपीलान्ट को हाल ही में हल्का पटवारी द्वारा दिनंक 01–06–2021 को बताने पर उक्त नामान्तकरण की जानकारी हुई। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 07–06–2021 को नकल तैयार कर अपीलान्ट को दी गई। उच्चत्तम न्यायालय द्वारा करोना महामारी को देखते हुए सभी प्रकार के मामलों में मियाद के बिन्दु पर छूट दी गई है फिर भी अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील धारा 05 कानून मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की जा रही है जो नियमानुसार अन्दर मियाद है। अतः प्रार्थना है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गए नामान्तरकरण संख्या 1741 दिनांक 17–02–2021 को अपास्त कराया जावे।

प्रस्तुत अपील पंजीबद्व की जाकर विपक्षी को तलबी नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी।

सर्वप्रथम अपील मेमों में अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत परिसीमा अधिनियम धारा 5 के आवेदन पर मियाद के बिन्दु पर विचार किया जा रहा है। अपीलार्थी ने मियाद के समर्थन मे शपथ पत्र पेश किया है। न्यायहित में नैसर्गिक प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखा जाकर अपीलार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 5 परिसीमा अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करते हुये अपील मियाद में शुमार करने के आदेश दिये जाते है।

अपीलार्थी अधिवक्ता ने बहस दौरान अपील मेमों मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा के निर्णय व डिकी के खिलाफ अपीलान्ट द्वारा एक अपील न्यायालय भूप्रबन्धक अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी भीलवाडा के यहा इन्ही रेस्पाडेन्ट नंबर 1 से 6 के विरुद्व पेश की जिसके अपील कमांक

अति. जिला कलक्टर

254 सन 2018 पर दर्ज है और उक्त अपील में दिनांक 18–07–2018 को एक आदेश जारी कर सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा के निर्णय व डिकी की पालना स्थगित कर रखी है, जो अब तक प्रभावी चली आ रही है। जिसकी रेस्पाडेन्ट नंबर 1 से 6 को जानकारी होते हुए भी उन्होने सहायक कलेक्टर गुलाबपुरा के यहा ईजराय पेश कर उक्त आराजियात जो बैंक के बंधक सुदा होते हुए भी उसका नामान्तरकरण अपने नाम पर खुलवा लिया। निवेदन हैं कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा खोले गए नामान्तरकरण संख्या 1741 दिनांक 17–02–2021 को अपास्त कराया जावे।

विपक्षी अधिवक्ता ने अपनी बहस में बताया कि अपीलाण्ट द्वारा भू प्रबन्ध अधिकारी के यहां अपील प्रस्तुत कर स्थगन ले रखा था, तो उसको सक्षम अधिकारी व न्यायालय के समक्ष समय पर प्रस्तुत करना चाहिये था एवं यदि राजस्व अपील प्राधिकारी के आदेश की अवेहलना की गयी हो तो उसके विरूद्व अपीलार्थी को न्यायालय अवमानना की कार्यवाही की जानी चाहिये थी, न की यह अपील प्रस्तुत करनी थी। रेस्पोडेण्ट को स्थगन आदेश की कोई जानकारी नही हैं। विवादित नामान्तरकरण 1741 सक्षम न्यायालय के आदेश की पालना में जारी किया गया था। जो पूर्णतया विधिनुरूप हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने न्यायालय के आदेश की पालना में जो प्रश्नगत नामान्तरकरण खोला गया हैं उसमें कोई त्रुटि नही होने से अपीलार्थी की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया गया। जिसके उपरान्त यह गया पाया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुलाबपुरा के प्रकरण संख्या 20/2016 के निर्णय व डिक्री की पालना पर स्थगन आदेश पारित किया हुआ हैं, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा द्वारा बिना किसी सुनवायी के एवं न्यायालय के आदेश का परीक्षण किये बिना ही उक्त नामान्तरकरण संख्या 1741 दिनांकित 17.02.2021 को स्वीकृत किया जाना स्पष्ट होता हैं।

जिससे उक्त प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाना उचित होगा की प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1741 में वर्णित आराजियात में यह नोट अंकित किया जावे कि जब तक राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में जैरकार कार्यवाही अपील संख्या 254/2018 में कोई निर्णय पारित न हो, तब तक उभयपक्षों द्वारा उक्त

अति. जिला कलक्टर

अति. जिला कलक्टर

प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1741 में वर्णित आराजियात को रहन बय बक्षीस न करें एवं न ही किसी अन्य से कराया जावे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे।

उपरोक्त विवेचन अनुसार अपीलार्थी की अपील आंशिक स्वीकार योग्य ठहरती हैं। अतएव–

आदेश

अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के तहत अपील आंशिक स्वीकार की जाती हैं। अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता हैं कि, प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1741 में वर्णित आराजियात में यह नोट अंकित किया जावे कि, जब तक राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा में जैरकार कार्यवाही अपील संख्या 254/2018 में कोई निर्णय पारित न हो, तब तक उभयपक्षों द्वारा उक्त प्रश्नगत नामान्तरकरण संख्या 1741 में वर्णित आराजियात को रहन बय बक्षीस न करें एवं न ही किसी अन्य से कराया जावे व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। उक्त नोट राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा के अपील संख्या 254/2018 के निर्णय के अधीन रहेगा।

निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार हुरडा को पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय आज दिनांक 09.11.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. राजेश गोयल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
भीलवाडा

अति. जिला कलक्टर
भीलवाडा

न्यायालय अति. जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)